भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1825
दिनांक 11 दिसम्बर, 2024/ 20 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाना

1825 श्रीमती सागरिका घोषः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में लाने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) और (ख): किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जब उसकी पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्यों को अपराध घोषित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि विवाह बंधन में किसी भी महिला के अधिकार एवं सम्मान की रक्षा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 74, 75, 76 और 85 तथा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 द्वारा समुचित उपचारी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें दंडात्मक परिणाम भी शामिल हैं।

******